वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 140/2025 *दिनांक- 16.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 16.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है-

आजमगढ़ पुलिस द्वारा सन् 2019 में जनपद आजमगढ़ से तथाकथित मृतक व्यक्ति को करीब 05 वर्ष 9 माह बाद पकड़ा गया -

पूर्व की घटना / इतिहास:-

वादी प्रकाश चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी महावतगढ़ मंडनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर आकर तहरीर दिया गया कि मेरे जीजा अरविन्द चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान निवासी इदिलपुर पुनरजी, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की गुमशुदगी दिनांक- 30.7.19 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर गुमशुदगी संख्या 17/19 पंजीकृत किया गया था एवं सुनीता चौहान पत्नी अरविन्द चौहान निवासी ग्राम ईदिलपुर थाना जहानागंज जनपद- आजमगढ द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर गुमशुदा अरविन्द कुमार चौहान उपरोक्त को गायब कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 510/24 धारा 302/201 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बनाम 1.वासुदेव चौहान पुत्र अम्बर चौहान निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज आजमगढ उम्र 52 वर्ष 2.घरबरन चौहान पुत्र लुरखुर चौहान निवासी नोनरा (समेदा) थाना सिधारी आजमगढ उम्र 55 वर्ष पंजीकृत कराया गया।

बरामदगी का विवरण/घटना का अनावरण:-

उक्त प्रकरण की विवेचना, के क्रम में अरविन्द कुमार चौहान उपरोक्त के परिवार के सदस्यों का मो0नं0 प्राप्त कर सीडीआर का अवलोकन किया गया जिसमें कुछ संदिग्ध मोबाइल नम्बर प्राप्त हुए। जिसके विश्लेषण से पाया गया कि कथित मृतक बदल बदल कर मो0नं0 प्रयोग करता है। संदिग्ध मो0नं0 के काल डाटा विश्लेषण एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर तथाकथित मृतक अरविन्द चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान निवासी इदिलपुर पुनरजी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को आईआईएम जनपद लखनऊ के पास से दिनांक 15.04.2025 को समय 12.30 बजे पकड़ा गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अरविन्द चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान निवासी इदिलपुर पुनरजी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पूछने पर बताया कि मैं एलकेमिस्ट लिमिटेड कम्पनी आजमगढ़ में मार्केटिंग/एजेण्ट का कार्य वर्ष 2006 से प्रारम्भ किया था कम्पनी 2017 मे भाग गयी। मैने अपने सम्बन्धियों का करोड़ो रुपये जमा कराकर एवं जनता के व्यक्तियों का करोड़ों रूपया जमा कराया। उक्त कम्पनी के भाग जाने के कारण जिन लोगों द्वारा पैसा जमा किया गया था। अपना पैसा वापस मांगा जाने लगा। जिस कारण 19.07.2019 को मैं प्रातः 06.00 बजे अपना मोबाइल आदि कमरे पर छोड़ कर लखनऊ चला गया। लखनऊ में आईआईएम के पास किराए पर कमरा लेकर आटो चलाने लगा तथा मोबाइल नम्बर बदल बदल कर वाह्ट्सअप काल

पर अपनी पत्नी एवं बच्चों से बात करता था। मैंने अपने रिश्तेदार वासुदेव चौहान पुत्र अमर चौहान नि0 लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज से अपने एवं अपनी पत्नी के खाते में धोखाधड़ी कर 04 लाख 42 हजार 500 रूपए लिए गए थे। जिस सम्बन्ध में बासदेव चौहान ने मेरे पिता मुसाफिर चौहान एवं पत्नी सुनीता चौहान के विरुद्ध थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 289/21 धारा 406/419/420/120बी/506 भादवि थाना जहानागंज पर अभियोग पंजीकृत कराया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा उपरोक्त के वादी पर मुकदमा वापस लेने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से मेरी पत्नी सुनीता द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह कर/न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देकर मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ से आदेश कराकर आरोपीगण 1.वासुदेव चौहान पुत्र अमर चौहान नि0 लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज 2. घरभरन पुत्र लुरखुर चौहान नि0 नोनरा समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 510/24 धारा 302/201 भादवि का अभियोग थाना कोतवाली आजमगढ़ में पंजीकृत कराया गया।

बरामदगी का विवरण:-

तथाकथित मृतक अरविन्द चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान निवासी इदिलपुर पुनरजी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
उ0नि0 अतुल मिश्रा प्रभारी (सर्विलास सेल)
हे0का0 उमेश कुमार यादव (सर्विलांस सेल)
ओ0पी0 दिनेश यादव (सर्विलांस सेल)
का0 अखिलेश यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
का0 अनुरूद्ध प्रसाद थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़